

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) म0प्र0 भोपाल

Tel.(office) 2674212,2551450(Fax) 2551450,E-mail ID :apccfprot@mp.gov.in

क्रमांक/एफ-5/2011/10-10/4503 भोपाल, दिनांक 9/12/2011
प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश
समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश

विषय:-सूर्यास्त के पश्चात आरामशीन संचालन की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ :-श्री सुखदेव पांसे विधायक मुलताई का पत्र पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश के निर्देश दिनांक 29/11/2011

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात आरामशीन के संचालन के विषय में काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम 1984 के नियम 4 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

“ आरा मिल या आरा गडढो मे चिराई का कार्य सूर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पूर्व नहीं किया जावेगा जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा लिखित में अनुज्ञात न किया गया हो।”

स्पष्ट है कि अनुज्ञापन अधिकारी को यह अधिकार दिये गये है कि वे वनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का प्रयोग कर इस संबंध में निर्णय कर सकते हैं।

अतः अनुज्ञापन अधिकारी विधि अनुसार उपरोक्त कार्यवाही हेतु सक्षम है।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश,भोपाल

